



मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 172/2025

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

सुलतानराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- वादी
बनाम

1. अजायब सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
2. उषा पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. करनैल सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. किरण पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. गुरचरण सिंह पुत्र इन्द्र जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. गुरदयाल कौर पत्नी कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
7. गुरदेव सिंह पुत्र इन्द्र जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. गुरप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
9. घुकर सिंह पुत्र इन्द्र जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. दर्शन सिंह पुत्र इन्द्र जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
12. नायब सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
13. निरंजनसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख नि. इन्द्रगढ तह.संगरिया जिला हनु0
14. मखन सिंह पुत्र इन्द्र जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
15. मुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
16. मिटू सिंह पुत्र इन्द्र जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
17. राधेश्याम पुत्र हंसराज जाति बिशनोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
18. वीर सिंह पुत्र बुटा सिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
19. शिवराज पुत्र मंगलाराम जाति बिशनोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
20. अजायब सिंह पुत्र सुखदेव कौर पत्नी मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
21. हरप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
22. हरबंस कौर पत्नी जरनैल सिंह जाति जटसिख नि. इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
23. हरबंस सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
24. हंसराज उर्फ हंसराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट नि. किशनपुरा उत्त0 तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
25. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 9-4-2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई श्रीमिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चकं 10 पीटीपी

1. सुलतान पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा.किशनपुरा उत्तराधा की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
126/146	40	4/1/0.228, 4/2/0.025, गै.मु.रास्ता, 5/1/0.228, 5/2/0.025, गै.मु.रास्ता,

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. राधेश्याम पुत्र हंसराज, शिवराज पुत्र मंगलाराम जाति बिश्नोई साकिन किशनपुरा उतराधा की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
126/145	38	21/0.253, 22/0.253,

3. हंसराज उर्फ हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा.किशनपुरा उतराधा की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
126/145	38	16/1/0.228, 16/2/0.025, गै.मु.रास्ता, 17,23,24/0.759, 25/1/0.228, 25/2/0.025, गै.मु.रास्ता,
126/146	40	2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/894 दिनांक 20.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9-9-2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया